

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9वाँ तल, सी - विंग दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट, नई दिल्ली-110002.

एफ. 53(5)/ अता प्र.सं. 69/ तृतीय सत्र (बजट सत्र-2022)/ दिविस/ श.वि./ 2103-05 दिनांक: 25-03-22

सेवा में,


उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054.

विषय:- दिल्ली सातवीं विधानसभा के तृतीय सत्र (बजट सत्र) अतारांकित प्र. स. 69 माननीय विधायक
श्री. उभय वर्मा, दिनांक 28.003.2022 को सदन की बैठक के सन्दर्भ में ।

महोदया / महोदय,


आपको उपरोक्त विषय में उद्धृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियाँ, माननीय मंत्री शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित अग्रित कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप-सचिव (संसदीय शाखा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री शहरी विकास (दिल्ली सरकार) 7वाँ तल 'ए' विंग, दिल्ली सचिवालय नई दिल्ली ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियों सहित ।


उप-सचिव (संसदीय शाखा)

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली


विधायक का नाम : श्री अभय वर्मा

दिनांक : 28.03.2022

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 69

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि लक्ष्मी नगर विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित एम0एस0पी0वाई0 योजना के लगभग 13.09 करोड़ रुपये के बीस आवेदन शहरी विकास विभाग में लम्बित है;	लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित एम0एस0पी0वाई0 योजना के लगभग 13.09 करोड़ के 20 आवेदन शहरी विकास में लम्बित है।
ख	यदि हाँ, तो इन आवेदनों पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण है;	एम0एस0पी0वाई0 योजना की मानक संचालक प्रक्रिया के तहत किसी आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार माननीय शहरी विकास मंत्री के पास है।
ग	सभी बीस आवेदनों पर अब तक की गई कार्यवाई का पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाएं;	सभी प्राप्त आवेदन लम्बित है।
घ	क्या यह सत्य है कि वित्त वर्ष 2021-22 में एम.एस.पी.वाई. योजना में 370 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया था;	संशोधित बजट 2021-22 में एम0एस0पी0वाई0 योजना में 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिबद्ध देन-दारियों की पूर्ति के लिए 30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान पुनर्वियोजन(Re-appropriation)के द्वारा किया गया है।
ङ	यदि हाँ, तो इस योजना के तहत कितनी धनराशि खर्च की गयी;	इस योजना के तहत अभी तक 78 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।
च	इस योजना में खर्च की गयी धनराशि में से रोहिणी विधान सभा क्षेत्र -13, बदरपुर विधान सभा क्षेत्र-53, लक्ष्मी नगर विधान सभा क्षेत्र-58, विश्वास नगर विधान सभा क्षेत्र-59, गौधी नगर विधान सभा क्षेत्र-61, रोहताश नगर विधान सभा क्षेत्र-64, घोंडा विधान सभा क्षेत्र-66 और करावल नगर विधान सभा क्षेत्र-70 में कितनी धनराशि खर्च की गयी है;	संबंधित सूची संलग्न है।
छ	उपरोक्त विधान सभा में एम.एस.पी.वाई. योजना के तहत वर्ष 2021-22 में क्या कोई कार्य आवंटित हुआ है; और	कोई कार्य आवंटित नहीं हुआ है।
ज	यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी दें और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?	सभी प्राप्त आवेदन लम्बित है।


Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

Details of Proposal under MSPY Scheme during CFY 2021-22

Assembly Constituency	AC name	Amount Released in Lakhs		
		First Instalment	Second / Final Instalment of previous years "ongoing projects"	Total
13	Rohini	0	0	0
53	Badarpur	0	0	0
58	Laxmi Nagar	0	200.05	200.05
59	Vishwas Nagar	0	0	0
61	Gandhi Nagar	0	10.35	10.35
64	Rohtash Nagar	0	164.09	164.09
66	Ghonda	0	312.97	312.97
71	Karawal Nagar	0	38.85	38.85